सहारनपुर की सीजनिंग स्पिनिंग मिल को फिर चालू कराया जाएगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने कहा है कि लंबे समय से बंद पड़ी सहारनपुर की सीजनिंग स्पिनिंग मिल को फिर से चालू कराया जाएगा।

सोमवार को हुई प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि मंडी परिषद में रजिस्टर्ड दुकानदारों की मृत्यु होने पर परिजनों को पांच लाख रुपए की सहायता और कर्मचारियों, पल्लेदारों आदि के दुर्घटना में चोटिल हो जाने पर 50 हजार रुपए तक की सहायता दिए जाने की योजना लागू की गई है। उनकी अंत्येष्टि में होने वाले खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी एवं उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि नई इंडस्ट्री लगाने पर बिजली पर सरचार्ज 10 वर्ष तक माफ रहेगा। नवीन उद्योग की स्थापना के लिए राज्य सरकार 35 प्रतिशत का अनुदान प्रदान करेगी।

कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 35 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी। विदेश से आयात होने वाले उपकरणों, वस्तुओं, मशीनरी इत्यादि की फैक्टरी, प्लांट, इकाई का कलस्टर लगाने पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। ब्यूरो